(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी बृजमोहन बैरवा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 149/2021

रजिस्ट्रेशन सं0 :– 2021/170

बउनवान

दीपचन्द पुत्र मुतबन्ना हरनारायण जाति जाटव निवासी देहरी तहसील छबडा जिला बारॉ

(अपीलांट)

बनाम

1. तुलसांबाई पत्नी भवानीशंकर जाति जाटव निवासी देहरी तहसील छबडा हाल निवासी खजूरपुरा वार्ड हरिजन बस्ती के पास बारॉ
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारॉ

(रेस्पोडेन्टगण)

अपील विरूद्ध तहसीलदार छबडा के प्रकरण संख्या :– भू–अभिलेख/पुर्नविलोकन/2021/86(2)/1/SP1 मे पारित आदेश दि. 25.06.2021 की अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधि0, 1956

उपस्थित :–	1– श्री ओम भारद्वाज अभिभाषक	(अपीलांट)
	2– श्री बृजराज किशोर शर्मा	(रेस्पो. क्रम 1)
	3– पेरोकार सरकार	(रेस्पो. क्रम 2)

निर्णय दिनांक 05.04.2022

अपीलांट द्वारा जर्ये विद्वान अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छबडा के प्रकरण संख्या :– भू–अभिलेख/पुर्नविलोकन/2021/86(2)/1/SP1 मे पारित आदेश दिनांक 25.06.2021 की अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्टगण के इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 15.07.2021 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्ट क्रम 1 द्वारा जर्ये अभिभाषक उपस्थिति दी गई एवं रेस्पोडेन्ट क्रम 2 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित है। प्रकरण मे अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर संलग्न पत्रावली की जाकर प्रकरण मे उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

अपीलांट के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत अपील के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट के मध्य उपखण्ड अधिकारी छबडा के न्यायालय मे एक वाद प्रकरण संख्या 203/2007 बउनवान दीपचन्द बनाम चन्द्रीबाई वगैराह के नाम से तहसील मे विभिन्न कृषि आराजियात निम्न प्रकार अवस्थित है :– खाता संख्या नई 49 पुरानी 46 खसरा नम्बर 28 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 130 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 131 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 183 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 187 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 195 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 407/1 रकबा [illegible] 8 बिस्वा कुल किता 7 कुल रकबा 11 बीघा 17 तथा इसी प्रकार ग्राम देहरी के खाता संख्या नया 48 पुराना 45 की आराजी खसरा नम्बर 437 रकबा 10 बीघा तथा ग्राम उदपुरिया के खाता संख्या नया 36 पुराना 36 की आराजी खसरा नम्बर 7 रकबा 14 बीघा 9 बिस्वा खसरा नं0 8 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा कुल 19 बीघा 15 बिस्वा तथा अन्य ग्राम केलखेडी की आराजियात के सम्बन्ध मे वाद जैरकार था जिस पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबडा द्वारा दिनांक 12.01.2021 को अपीलांट के पक्ष मे डिक्री कर दिया तथा रेस्पो0/प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम खारिज फरमा दिया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brij Mohan Bairwa
Date: 2022.04.26 15:41:01 IST
Reason: SelfAttested

उक्त निर्णय व डिक्री की पालना मे तहसीलदार छबडा द्वारा ग्राम देहरी मे इंतकाल संख्या 589 व ग्राम उदपुरिया की आराजी का इंतकाल संख्या 429 दिनांक 12.3.2021 को तस्दीक किया गया। तत्पश्चात रेस्पो0/प्रार्थी द्वारा न्यायालय तहसीलदार छबडा के यहॉं दिनांक 06.04.2021 को एक पुर्नविलोकन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के प्रावधानों का उल्लंघन कर उक्त प्रार्थना पत्र की आड मे विधि के प्रतिपादित सिद्वान्तों को नजरअंदाज करते हुये स्वयं के द्वारा तस्दीक नामान्तकरण संख्या 589 ग्राम देहरी एवं नामान्तकरण संख्या 429 ग्राम उदपुरिया को खारिज कर दिया है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय मे यह स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि उक्त दोनो नामान्तकरण तस्दीक करते समय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी कोटा के यहां से जारी स्थगन आदेश की जानकारी नही थी और न ही अधीनस्थ न्यायालय को उक्त स्थगन आदेश की जानकारी उपलब्ध कराई गई। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त नामान्तकरण स्वीकार किये। जबकि यह रेस्पो0 क्रम 1 का दायित्व था कि यदि उसे न्यायालय से स्थगन प्राप्त था जो राजस्व नियमों के अन्तर्गत उक्त स्थगन का अंकन जमाबंदी पर करवाना चाहिये था ओर समय पर स्थगन की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत किया जाना आवश्यक था। विधि का यह सिद्वान्त है कि अपील के जैरकार रहते किसी भी तरह का पुर्नविलोकन प्रार्थना पत्र विधिवत पोषणीय नही रहने से अपीलाधीन निर्णय विधि विरूद्व होने के कारण प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के प्रतिकूल होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबडा के निर्णय की पालना मे उपरोक्त नामान्तकरण तस्दीक किये गये थे जिसका पुर्नविलोकन करने का अधीनस्थ न्यायालय को कोई अधिकार नही था। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपनी शक्तियों से परे जाकर उक्त निर्णय पारित किया है जो विधि के प्रतिपादित सिद्वान्तों के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भू–राजस्व अधिनियम की धारा 86(2) मे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करना निर्णय मे वर्णित किया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय को उक्त प्रार्थना पत्र सुनने का अधिकार हीं नहीं था क्योंकि उनके द्वारा कोई निर्णय पारित नही किया था अस्तु उपखण्ड अधिकारी छबडा के निर्णय की पालना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई थी। विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि 86(2) प्रत्येक राजस्व न्यायालयों अथवा अधिकारियों या तो स्वयं अपनी ओर से या हित रखने वाले किसी आवेदन पत्र पर अपने द्वारा या अपने पूर्वाधिकारी द्वारा दी गई आज्ञा का पुर्नविलोकन कर सकेगा।

उक्त प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई आज्ञा जारी नही की थी। जिसका पुर्नविलोकन किया जा सके। उक्त विधि विरूद्व कार्यवाही की आड मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वयं के द्वारा तस्दीक नामान्तकरण को खारिज करने मे गम्भीर त्रुटि कारित की है। अपीलांट द्वारा अपने पक्ष समर्थन मे न्यायिक दृष्टांत धारा 86(2) पेज सं0 299 की छायाप्रति प्रस्तुत कर अपील अपीलांट स्वीकार किये जावे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.06.2021 निरस्त फरमाये जाने हेतु निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brij Mohan Bairwa
Date: 2022.04.26 15:41:01 IST
Reason: SelfAttested

रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक द्वारा बहस मे कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा द्वारा प्रकरण :– भू–अभिलेख/पुर्नविलोकन/2021/86(2)/1/SP1 मे पारित आदेश दिनांक 25.06.2021 मे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही की गई है। प्रकरण मे न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबडा द्वारा दिनांक 12.01.2021 को अपीलांट के पक्ष मे डिक्री कर दिया तथा रेस्पो0/प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम खारिज फरमा दिया।

उक्त निर्णय व डिक्री की पालना मे तहसीलदार छबडा द्वारा ग्राम देहरी मे इंतकाल संख्या 589 व ग्राम उदपुरिया की आराजी का इंतकाल संख्या 429 दिनांक 12.3.2021 को तस्दीक किया गया तत्पश्चात रेस्पो0/प्रार्थी द्वारा न्यायालय तहसीलदार छबडा के यहॉ दिनांक 06.04.2021 को एक पुर्नविलोकन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे सुना जाकर उक्त दोनो नामान्तकरण तस्दीक करते समय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी कोटा के यहां से जारी स्थगन आदेश की जानकारी नही थी, जानकारी होने पर पारित आदेश दिनांक 25.06.2021 से अधीनस्थ न्यायालय तस्दीक नामान्तकरण संख्या 589 ग्राम देहरी एवं नामान्तकरण संख्या 429 ग्राम उदपुरिया को खारिज कर दिया है। जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही की गई है। अतः अपीलांट द्वारा इस न्यायालय मे प्रस्तुत अपील खारिज फरमाई जावे।

प्रकरण में उभयपक्ष के अभिभाषक की बहस सुनी गई। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अवलोकन किया गया। जिससे पाया गया कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय में उक्त आदेश पारित करने से पूर्व नोटिस जारी किया गया था और उसके द्वारा जर्ये अभिभाषक राजेश भार्गव के उपस्थिति दी गई थी। प्रकरण में उक्त आदेश में उल्लेखित किया गया है कि माननीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा का उक्त आराजी पर दिनांक 09.02.2021 से स्थगन आदेश है जो पूर्व में दिनांक 23.02.2021 तक प्रभावी था एवं जिसे दिनांक 23.02.2021 को दिनांक 16.03.2021 तक बढ़ा दिया गया था। पटवारी चाचौड़ा द्वारा इंतकाल संख्या 429 ग्राम उदपुरिया एवं इंतकाल संख्या 589 ग्राम देहरी को न्यायालय तहसीलदार (भू0अ0) छबड़ा के समक्ष दिनांक 12.03.2021 को पेश किये गये, तत्समय माननीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के स्थगन आदेश की जानकारी न्यायालय तहसीलदार (भू0अ0) छबड़ा को नहीं थी। इसलिए इंतकाल सं0 429 ग्राम उदपुरिया एवं इंतकाल सं0 589 ग्राम देहरी को न्यायालय तहसीलदार द्वारा तस्दीक करके नामान्तकरण स्वीकार कर लिया गया। चूंकि दिनांक 12.03.2021 को माननीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा का यथास्थिति का स्थगन आदेश प्रभावी था एवं उक्त दोनों इंतकाल तथ्यों की सही जानकारी उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण स्वीकृत किये गये थे। अतः राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 86(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इंतकाल सं0 429 ग्राम उदपुरिया एवं इंतकाल सं0 589 ग्राम देहरी को खारिज करने का निर्णय किया जाता है। अपीलांट के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत इस प्रकरण पर साबित नहीं होते है। प्रकरण में तहसीलदार, छबड़ा द्वारा दिया गया आदेश उचित प्रतीत होने से यह न्यायालय उसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझता है।

अतः परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा इस न्यायालय मे प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक **05.04.2022** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Brij Mohan Bairwa
Date: 2022.04.26 15:41:01 IST
Reason: SelfAttested

(बृजमोहन बैरवा)
अति0 जिला कलक्टर
बारॉ